आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, छत्तरपुर (पलामू)।

दा0खा0 अपील वाद संख्या-06/2016-17

श्री राज किशोर साव-------- अपीलार्थी

बनाम

श्री मनोज कुमार एवं अन्य----प्रतिवादीगण

आदेश

P 30 17.03.20

P 44 20.06.20

यह दाखिल खारिज अपीलवाद अंचल अधिकारी, छतरपुर के द्वारा नामांतरण वाद संख्या-150/2016-17 में दिनांक-25.07.2016 के पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपीलार्थी श्री राजकिशोर साव पिता स्व0 धनमन साव ग्राम-रूदवा, थाना-छतरपुर, पलामू के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया, जो ग्राम-रूदवा, थाना-छतरपुर के खाता संख्या-38, प्लॉट संख्या-178, रकबा-0.40 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कियागया तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उभय पक्ष द्वारा अपना-अपना जबाब दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष की ओर से बहस करते हुए विज्ञ अधिवक्ता ने बताया कि :-

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	1. यह कि प्रतिवादीगण श्रीमति मुनाका कुवंर पति स्व0 यमुना साव ग्राम-रूदवा, थाना-छतरपुर, पलामू से खाता संख्या-38, प्लॉट संख्या-178, रकबा-0.40 एकड़ भूमि विक्रय पत्र संख्या-2267, दिनांक-16.05.2016 द्वारा क्रय किया गया, जो जान बुझकर विवाद पैदा करने के उद्देश्य से गलत विक्रय पत्र बनाया गया है । प्लॉट संख्या-178, राजस्व कागजात में बकास्त भूमि श्री गोविन्द साव का दर्ज है जिसका सम्पूर्ण रकबा-3.58 एकड़ है। 2. यह कि अंचल अधिकारी, छतरपुर के द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किए राजस्व प्रावधान के विपरीत प्रतिवादीगण के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया है। 3. यह कि विक्रेता मुनाका कुवंर बिक्री से पूर्व वाद भूमि पर दाखिल काबिज नहीं थी। 4. यह कि अपीलार्थी के पिता स्व0 धनमन साव अपने जीवन काल में वाद भूमि के साथ-साथ अपना अन्य संपत्ति का विभाजन किये, जिसके अनुसार खाता संख्या-38, प्लॉट संख्या-178, रकबा-0.84 एकड़ भूमि अपीलार्थी को प्राप्त हुआ, जिसके बाद से उक्त भूमि उनके दखल कब्जा में है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	5. यह कि आपसी विभाजन के अनुसार प्राप्त वाद भूमि पर अपीलार्थी के दखल कब्जा एवं स्वामित्व के आधार पर हाल सर्वे का नक्शा एवं खतियान उनके पक्ष में तैयार किया गया है जिसका हालसर्वे खाता संख्या–102, प्लॉट संख्या–108, रकबा–0.84 एकड़ दर्ज है। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् फाईनल खतियान का प्रकाशन श्री राज किशोर साव (अपीलार्थी) के पक्ष में किया गया जिस पर किसी हिस्सेदार के द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वाद भूमि पर विक्रेता का दखल कब्जा एवं स्वामित्व नहीं था। 6. यह कि अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा नामांतरण के दौरान विक्रेता के हिस्सेदार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत नहीं किया गया तथा आम–इस्तेहार का प्रकाशन वैधानिक तरीके से नहीं किया गया । अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश विधिसंगत एवं न्याय संगत नहीं है। अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा पारित नामांतरण आदेश को रद्द करने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता द्वारा किया गया।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

प्रतिवादीगण की ओर से बहस करते हुए विज्ञ अधिवक्ता ने बताया कि :-

1. यह कि वाद भूमि प्रतिवादीगण को मुनाका कुंवर जौजे स्व0 यमुना साव, ग्राम-रूदवा, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू से विक्रय पत्र संख्या-2267, दिनांक-16.05.2016 द्वारा प्राप्त है जिस पर वे शांतिपूर्ण दखलकार है।
2. यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दखल कब्जा के संबंध में स्थल जाँचोपरान्त ही विधिसम्मत् नामांतरण आदेश प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित किया गया है जो विधिसंगत एवं न्याय संगत है। नामांतरण के संबंध में जानकारी होने के बावजुद अपीलार्थी द्वारा आपत्ति नहीं किया गया। अपीलार्थी का अपील आवेदन आधारहीन है। अपीलार्थी को प्रतिवादीगण के विक्रय पत्र को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील अवधि बीत जाने के पश्चात् अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः अपील आवेदन खारिज के योग्य है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि को श्रीमति मुनाका कुवंर पति स्व0 जमुना साव द्वारा बिना अपने सह-हिस्सेदार की जानकारी में 0.40 डिसमिल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

भूमि अपने पोतों को केवाला कर दिया गया जबकि उक्त भूमि वर्त्तमान सर्वे में आवेदक के नाम से कब्जा दर्शाया गया है जिस पर किसी भी हिस्सेदार के द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नही कराया गया है।

अंचल अधिकारी,छतरपुर के नामांतरणवाद संख्या-150/2016-17 के अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी हिस्सेदार या रिस्तेदार से आम-इस्तेहार में अनापत्ति नहीं लिया गया और संयुक्त खाते की भूमि होने के उपरांत भी किसी को पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का भूमि के भौतिक सत्यापन या निरीक्षण का कोई विवरण/तिथि उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश बिना अन्य हिस्सेदार को सूचना दिये बिना, स्थल निरीक्षण एवं कब्जे की स्थिति जाने बिना पारित किया गया तथा वैधानिक रूप से राजस्व प्रावधान की प्रक्रिया का अनुपालन नही किया गया।

अतः अंचल अधिकारी, छतरपुर के द्वारा किया गया नामांतरण वाद संख्या-150/2016-17 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

13/02/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
छतरपुर (पलामू)।

13/02/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
छतरपुर (पलामू)।